भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1610
(12 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों का उन्नयन

1610. श्री सन्नी देओल:
श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर:
श्री कृपानाथ मल्लाहः
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
डॉ. राजदीप रायः
श्री ज्ञानेश्वर पाटिल:
श्री संजय सेठः
श्री जुगल किशोर शर्मा:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत वर्ष 2003 से राज्य-वार, विशेषकर महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्वीकृत और पूरी की गई सड़कों की लंबाई (किलोमीटर में) का ब्योरा क्या है; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत मौजूदा सड़कों के उन्नयन के लिए स्वीकृत और प्रदान की गई निधियों का राज्य-वार ब्योरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत और निर्मित सड़कों की लंबाई (किलोमीटर में) का राज्य-वार, जिला-वार और वर्ष-वार ब्योरा

कार्यक्रम की वेबसाइट omms.nic.in=>progress monitoring=>Financial Year wise Achievement पर देखा जा सकता है।

महाराष्ट्र के लातूर जिले में पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यक्रमों/घटकों के अंतर्गत वर्ष 2003 से 714.675 किमी सड़क लंबाई स्वीकृत की गई है और 678.025 किमी लंबी सड़क का निर्माण किया गया है।

(ख): पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राज्य सरकारों को केन्द्रीय निधियां जारी की जाती हैं और इसके अतिरिक्त, निधियां राज्य सरकारों द्वारा जिला और उप-जिला स्तर पर जारी की जाती हैं। पीएमजीएसवाई के प्रारंभ से अब तक जारी की गई केन्द्रीय निधि का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 12.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1610 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कार्यक्रम की शुरूआत से पीएमजीएसवाई (आरसीपीएलडब्ल्यूईए सहित) के विभिन्न कार्यक्रमों/घटकों के तहत जारी की गई निधियों (केंद्रीय अंश सहित) और व्यय (राज्य अंश सहित) का ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी निधियां (केंद्रीय अंश) (वर्तमान स्थिति के अनुसार)	व्यय (राज्य अंश सहित) (वर्तमान स्थिति के अनुसार)
1	अण्डमान और निकोबार	26.44	36.98
2	आंध्र प्रदेश	6,424.54	5,862.32
3	अरुणाचल प्रदेश	8,939.01	9,609.92
4	असम	19,281.15	22,436.87
5	बिहार	24,888.32	32,574.28
6	छत्तीसगढ़	12,064.60	16,315.11
7	गोवा	10.15	0
8	गुजरात	3,472.46	4,732.00
9	हरियाणा	2,438.65	3,210.01
10	हिमाचल प्रदेश	6,892.67	7,442.28
11	जम्मू और कश्मीर	10,820.27	11,473.20
12	झारखंड	7,939.37	12,008.97
13	कर्नाटक	5,960.56	8,030.34
14	केरल	1,698.26	2,243.46
15	मध्य प्रदेश	24,154.61	31,898.53
16	महाराष्ट्र	7,891.21	10,431.47
17	मणिपुर	4,373.91	4,618.44
18	मेघालय	2,585.96	2,663.99
19	मिजोरम	2,333.60	2,377.56
20	नागालैंड	1,277.48	1,331.85
21	ओडिशा	22,870.27	31,805.71
22	पुदुचेरी	36.38	37.67
23	पंजाब	3,304.29	4,384.24

(रुपए करोड़ में)			
क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी निधियां (केंद्रीय अंश) (वर्तमान स्थिति के अनुसार)	व्यय (राज्य अंश सहित) (वर्तमान स्थिति के अनुसार)
24	राजस्थान	13,475.43	15,620.40
25	सिक्किम	2,213.83	2,310.13
26	तमिलनाडु	5,886.60	8,218.00
27	त्रिपुरा	3,302.42	3,208.70
28	उत्तर प्रदेश	18,295.11	24,468.49
29	उत्तराखंड	8,422.27	9,481.66
30	पश्चिम बंगाल	12,528.07	16,591.91
31	तेलंगाना	1,451.46	4,163.86
32	लद्दाख	300.75	756.36
कुल		**245,560.08**	**310,344.71**

*****